न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	60/22	2022/57	12/09/2022	बाबू बनाम सरकार	25.02.2026	1 लगायत 2

1. बाबू पुत्र सरवन जाति मीना उम्र 60 साल निवासी ग्राम डोब तहसील वजीरपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर । —रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :— विद्वान अधिवक्ता श्री तरूण शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से :— पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 47/22 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डीप के आराजी ख0नं0 1058 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के सिद्धान्त व मिसल के तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त आदेश पारित कर दिया है। खं0नं0 1058 पर ग्राम के करबीन 150 मकानात बने हुये है तथा उक्त भूमि वर्तमान में आबादी के काम आ रही है। किन्तु उसके बाबजूद भी अपीलान्ट को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त आदेश पारित किया है। जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय व पक्षपाति रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। [illegible] को अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य व सबूत पेश करने व पटवारी से जिरह करने का कोई अवसर [illegible] किया है [illegible] वास्तव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 60/2022 बाबू बनाम सरकार ।

अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो प्रकरण की सारी सच्चाई माननीय न्यायालय के समक्ष आती है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके पर गये उक्त रिपोर्ट तैयार की है जिसके आधार पर कोई आदेश कानूनी पारित नहीं किया जा सकता इस कारण उक्त निरस्तीय है। अपीलान्ट सीधा साधा 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसकी गांव में काफी इज्जत है जेल जाने से अपीलान्ट की गांव में काफी बदनामी होगी इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है,, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.08.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 05.08.2022 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2022 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:09:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी